XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व (वासगीत पर्चा) पुनरीक्षण वाद संख्या–134/08

धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 अन्तर्गत

1. श्रीमती बुचनी देवी, पति–श्री दीनालाल साह, साकिन–मिरचाईवाड़ी झांगर टोली, थाना–जानकीनगर, जिला–पूर्णियाँ– आवेदक

बनाम्

1. बिहार सरकार
2. श्री महेन्द्र साह, पिता–स्व0 बिन्देश्वरी साह, साकिन–मिरचाईवाड़ी झांगर टोली, थाना–जानकीनगर, जिला–पूर्णियाँ– विपक्षी

आ दे श

यह पुनरीक्षण वाद अंचलाधिकारी, बनमनखी के द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या–24/07–08 द्वारा निर्गत वासगीत पर्चा के विरूद्ध धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 अन्तर्गत दायर किया गया है।

आवेदिका का कथन है कि मौजा–झांगर टोली मिरचाईवाड़ी, थाना नं0–349, खाता नं0–70, खेसरा नं0–700/1636, रकवा–0.4 डिसमिल 04 कड़ी दो जिला के सीमा पर अवस्थित है। उक्त जमीन आवेदिका ने दिनांक 28.05.2006 को केवाला द्वारा खरीद किया है। अंचलाधिकारी, बनमनखी द्वारा निर्गत आदेश गलत है। अंचलाधिकारी, बनमनखी के द्वारा पीछे के तिथि पर आदेश दिया गया है। अंचलाधिकारी को भूधारी के रूप में आवेदिका को नोटिश निर्गत करना चाहिए। अंचलाधिकारी, बनमनखी के द्वारा निर्गत आदेश को रद्द करने हेतु आवेदन दिया है।

विपक्षी की ओर से आपत्ति–सह–प्रतिउत्तर दाखिल किया गया, जिसमें विपक्षी का कथन है कि यह पुनरीक्षण वाद खारिज करने के योग्य है। वे प्रश्रय प्राप्त के श्रेणी में आते हैं। वे बहुत दिनों से उक्त जमीन पर रह रहे है तथा दखल–कब्जा में है, उनके द्वारा दिनांक 15.05.2007 को अंचलाधिकारी के न्यायालय में वासगीत पर्चा हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया है, जो जाँच के पश्चात् वासगीत पर्चा निर्गत किया गया।

इस संबंध में अंचलाधिकारी, बनमनखी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, बनमनखी ने अपने पत्रांक 25, दिनांक 09.01.2010 द्वारा प्रतिवेदित किये है। उनके द्वारा प्रतिवेदित है कि मौजा–झांगर टोली, थाना नं0–349, खाता नं0–70, खेसरा नं0–700/1636 आवेदिका का पर्चावाली जमीन में मकान मय सहन नहीं है। उक्त जमीन में आवेदिका का दरवाजा है। वादी–प्रतिवादी आपस के संबंधी है। एक ही खतियानी रैयत से वादी प्रतिवादी जमीन खरीद किया है। आवेदिका प्रश्रय प्राप्त के श्रेणी में नहीं आते हैं।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पण तारीख सहित
1	2	3

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को दिनांक 23.08.2010 एवं 29.11.2010 को सुना गया। आवेदक का यह कहना था कि अंचलाधिकारी, बनमनखी का आदेश न्याय संगत नहीं है एवं एक वर्ष के बाद यह आदेश पारित हुआ है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि निम्न न्यायालय के आदेश विधि सम्मत है। आदेश पारित होने में हुए विलम्ब के लि ये वह किसी तरह दोषी नहीं है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि वह भूमिहीन है तथा विवादित भूमि पर वे 20 साल से दखल–कब्जा में है।

सुनवाई के बाद एवं अभिलेखों में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायाल य द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

इस निर्णय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ